न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 01, मेरठ।

14–10–2022

प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण श्रीमती कुन्तेश व राहुल की ओर से वाद संख्या 21728/2018 मु0अ0सं0 54/2017 अन्तर्गत धारा 323,भा0द0सं0 थाना नौचन्दी जिला मेरठ में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त आत्म समपर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है ।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध जमानतीय होने का कथन किया गया है ।

अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि वह निर्दोष है उसको झूठा रंजिशन फंसाया गया है । उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है ।

मैने उभय पक्षो को सुना तथा प्रपत्रो का अवलोकन किया ।

अपराध की प्रकृति व मामले के तथ्यो परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुण दोष पर बिना विचार किये प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी/अभियुक्तगण उपरोक्त को मुबलिग पन्द्रह हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(विनय कुमार द्वितीय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या 01, मेरठ।
आई0डी0न0–1852